जी.सी.एम.एस.न. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

गोकुल बनाम कैलाश वगैरह

किस्म मुकदमा दावा नम्बर 98 वर्ष 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/09/2024	पत्रावली वकील वादी की और से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश होने पर तलब होकर पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पत्रावली पर प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादी का कथन है कि मेरा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.02.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने भी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताई। वकुलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 2808/भू.अ./21 दिनांक 04.08.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादी सं. 1 को पृथक– पृथक काविज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.27 16:29:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner